National Journal of Multidisciplinary Research and Development
www.newresearchjournal.com
ISSN: 2455-9040
Received: 22-06-2025, Accepted: 23-07-2025, Published: 07-08-2025
Volume 10, Issue 3, 2025, Page No. 38-40

नयी शिक्षा नीति और विधिक शिक्षा के विस्तार में संभावनाएं: एक अवलोकन

डॉ. दीपमाला श्रीवास्तव
असिस्टेंट प्रोफेसर, टी० आर० सी० लॉ कॉलेज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
शिक्षा के स्तर को बनाये रखने और सही ढंग से लागू करने के लिए सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सही नीति निर्धारण अति आवश्यक है। इसी क्रम में के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी नई शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में कई अहम बदलाव किए गये हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 2020 के अंतर्गत, ग्रेजुएशन की अवधि को 3–4 साल तक बढ़ाने व एमफिल की अनिवार्यता खत्म करने का प्रस्ताव है।
अब नई शिक्षा नीति के अनुसार छठी कक्षा से ही छात्रों को विशेष रूप से चयनित व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यावसायिक और स्किल की शिक्षा प्रदान कर उनके कौशल का विकास किया जाएगा। ये छात्रों को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। भारत में विधि के क्षेत्र में शिक्षा में अधिकता तो हैं पर गुणवत्ता का काफी हद तक अभाव है। यहाँ नेशनल विधि विश्वविद्यालयों के वित्त के लिए राज्य पर निर्भर और स्ववित्तपोषित शिक्षा होने के कारण शिक्षण बहुत ही महंगा होता है। ये नीति शिक्षा को सीमाओं से कई मायने में आजाद कर रही है।

मूल शब्दः न्यू एजुकेशन पॉलिसी, व्यावसायिक, पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा और कौशल

नास्ति विद्यासमो बन्धुर्नास्ति विद्यासमः सुहृत। नास्ति विद्यासमं वित्तं नास्ति विद्यासमं सुखम् ।। ज्ञान के समान कोई मित्र नहीं है, और ज्ञान के समान कोई मित्र नहीं है। ज्ञान के समान कोई धन नहीं है और ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। श्लोक का तात्पर्य है कि ज्ञान के समान कोई भाई या बहन नहीं है। न ही इस संसार में विद्या के समान कोई मित्र है। ज्ञान के समान कोई धन नहीं है, न ही ज्ञान प्राप्ति के समान संसार में कोई सुख है। ज्ञान ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा के स्तर को बनाये रखने और सही ढंग से लागू करने के लिए सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सही नीति निर्धारण अति आवश्यक है। इसी क्रम में के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी नई शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में कई अहम बदलाव किए गये हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। यहाँ हम लेख के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा विधिक शिक्षा के विस्तार और उसे प्रबल बनाने की सम्भावनाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे।

विधि लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। विधिक व्यवसाय एक स्वतन्त्र एवं पवित्र व्यवसाय है। इसका विस्तार एवं कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। इस व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य सेवा भावना है। विधि व्यवसायी न्यायालय के अधिकारी माने जाते हैं ये लोक तंत्र एवं न्याय तंत्र की गरिमा का संरक्षक भी है। भारत में लॉर्ड कार्नवलिस ने 1793 के सातवें विनियम के माध्यम से विधि व्यवसाय का नियमन किया। योग्य और चरित्रवान अधिवक्ताओं को लाइसेंस प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अधिवक्ता वर्ग की भागीदारी सर्वाधिक रही है। विधि के इस कुलीन व्यवसाय से आजादी के समय की महान विभूतियाँ भी जुडी थी जैसे महात्मा गाँधी, मोती लाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल, डॉ भीम राव अम्बेडकर, तथा डॉ राजेंद्र प्रसाद इत्यादि। ये सभी अपने समय के सफल अधिवक्ता के तौर पे जाने जाते थे। इन सभी महान विभूतियों ने आजादी की लड़ाई के साथ साथ इस क्षेत्र में भी अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया है। यहाँ हम लेख के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा विधिक शिक्षा के विस्तार और उसे प्रबल बनाने की सम्भावनाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा विधिक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार

न्यू एजुकेशत पॉलिसी ने स्नातक (उच्च शिक्षा) के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए है। भारत में विधि का प्रवेश पाठ्यक्रम में स्नातक के बाद ही होता था परन्तु विधि पंचवर्षीय होने के बाद अब बारहवी के बाद ही छात्र इसे कैरियर के रूप में चुन सकते है। उच्च शिक्षा में जो बदलाव किये जाने हैं वो विधि के क्षेत्र में भी काफी हद तक लागू होते हैं जो परिवर्तन निम्नलिखित हैं।

ग्रेजुएशन में 3–4 साल की डिग्री व एमफिल की अनिवार्यता खत्म

न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 2020 के अंतर्गत, ग्रेजुएशन की अवधि को 3–4 साल तक बढ़ाने व एमफिल की अनिवार्यता खत्म करने का प्रस्ताव है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को अधिक विशेषज्ञता और ज्ञान का अवसर प्रदान करना है। स्नातक की डिग्री की अवधि बढ़ा के 4 साल कर दिया जायेगा तथा उन सभी छात्रों के हितों का भी ध्यान रखा गया हैं जिनकी पढ़ाई किन्ही कारणों से बाधित होती हैं, जिनकी पढ़ाई 1 या 2 वर्ष के बाद छूट जाति है तो उन्हें भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिया जायेगा तथा 3 वर्ष की पढ़ाई के उपरान्त पढ़ाई छोड़ने पर स्नातक उपाधि दी जाएगी और 4 वर्ष के बाद ही उन्हें स्नातक शोध की उपाधि मिलेगी।
कानूनी शिक्षा में, ऐसी प्रणाली फायदेमंद नहीं होगी क्योंकि यह छात्रों के करियर को बाधित करेगी। 'कानूनी शिक्षा में, छात्र एक या दो साल के डिप्लोमा का उपयोग नहीं कर सकते हैं।' उपर्युक्त में परिवर्तन विधि के छात्रों के सम्बन्ध में बहुत हितकारी नहीं होगी क्यूंकि विधि में अभी तक त्रिवर्षीय या पंचवर्षीय डिग्री ही मान्य है जिसके द्वारा ही छात्र अधिवक्ता के रूप में अपना नाम बार कॉउन्सिल में दर्ज करवा सकता है। विधि के छात्रों के सम्बन्ध में 1 या 2 वर्ष का सर्टिफिकेट कितना उपयोगी होगा अभी ये पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं।

छठी कक्षा से ही छात्रों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा

अब नई शिक्षा नीति के अनुसार छठी कक्षा से ही छात्रों को विशेष रूप से चयनित व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यावसायिक और स्किल की शिक्षा प्रदान कर उनके कौशल का विकास किया जाएगा। इससे छात्रों को बचपन से ही अपनी योग्यता एवं रूचि के अनुसार अपना कार्यक्षेत्र चुनने की आजादी होगी। इससे देश के योग्य मानव संसाधन में विकास के साथ साथ छात्रों में बचपन से ही व्यवसायिक मानसिकता विकसित होगी। यदि छठी कक्षा से ही छात्रओं को प्रोफेशनल और रिकल की शिक्षा दी जाती है, तो वे अपने कैरियर को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं।

ये बहुत ही सराहनीय कदम है जिससे छात्र भारत के लिए मैकाले द्वारा निर्मित रडू तोते वाली प्रवित्ति से बाहर निकल कर प्रयोगात्मक ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे परन्तु इसके लिए विधि के क्षेत्र में उन्हें बारहवीं तक का इंतजार करना पड़ेगा क्यूंकि विधि क्षेत्र चुनने का अवसर छात्रों को बारहवीं के बाद ही प्राप्त होता है। विधि के संस्थानों में अच्छी तरह से डिजाइन किए गए मूट कोर्ट रूम, ई–कॉन्फ्रेंस और सेमिनार हॉल, मॉक ट्रेल इवेंट, परामर्श कक्ष और दवा और मध्यस्थता अभ्यास केंद्रों द्वारा संचालित एक अनुकूल अध्ययन वातावरण प्रदान करता है। छात्रों को विधि के वर्षों में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, कॉर्पोरेट फर्म, सरकारी सस्थानों आदि में इंटर्नशिप का अवसर प्राप्त होता है जिससे समाज को कुशल और कर्तव्यनिष्ठ अधिवक्ता प्राप्त होते है। पेशेवरों की तैयारी में नैतिकता और सार्वजनिक उद्देश्य के महत्व की शिक्षा और अनुशासन की शिक्षा शामिल होनी चाहिए।'

ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर

न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में शिक्षा प्रणाली को सुधारने और आधुनिक करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ाने का समर्थन करती है और यह मानती है कि डिजिटल शिक्षा उच्च शिक्षा को प्रासंगिक बनाने में मदद कर सकती है। कोविड त्रासदी के समय भी हमें ऑनलाइन माध्यम की सहायता से सभी शिक्षण गतिविधियों को जारी रखा।ये छात्रों को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। इसके सहारे कोई भी जीविकोपार्जन के साथ साथ शिक्षा को भी ग्रहण कर सकता है। इन प्रावधानों के माध्यम से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल युग की आवश्यकताओं के साथ साथ छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। आज विधि के क्षेत्र की बहुत से संस्थान ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से बहुत से कोर्स में अध्ययन का अवसर प्रदान कर रहे हैं। देश में सरकार को निःशुल्क ई–लाईब्रेरी की सुविधा सभी संस्थानों को प्रदान की जानी चाहिए।

2030 तक हर जिले में एक उच्च शिक्षण संस्थान

न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लक्ष्य है कि हर जिले में 2030 तक कम से कम एक उच्च शिक्षण संस्थान हो. ताकि विभिन्न क्षेत्रों के छात्र उच्च शिक्षा का लाभ उठा सकें। यह लक्ष्य उच्च शिक्षा को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित करने और अधिक छात्रों को शिक्षित करने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। इस स्थापना का उद्देश्य है कि हर क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अवसरों को प्राप्त करने का सुनिश्चित किया जा सके, जिससे कि छात्रों को अपने गांव या जिले से दूर जाने की आवश्यकता न हो।

विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति

न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने कैंपस खोलने की अनुमति दी जा सकती है। ग्लोबल शिक्षा के क्षेत्र में भारत के प्रवेश को और अधिक व्यापक बनाने का प्रयास किया है। जिससे कि विदेशी विश्वविद्यालय भारत में कैंपस खोल सकें। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने पर अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के मानकों का पालन करना होगा, जिससे छात्रों को अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। इन प्रावधानों के माध्यम से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रही है, जिससे छात्रों को अपनी शिक्षा और करियर के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे।

विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में संस्थान खोलने पर उनके और यहाँ के संस्थानों के बीच अच्छी शिक्षण व्यवस्था देने और अपनी साख बचाने के लिए एक अच्छा प्रतियोगिता का माहौल बनेगा और छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी योग्यता दिखाने का अवसर प्राप्त होगा।

उच्च शिक्षा में फीस रेगुलेशन

संस्थानों को उनके प्रमाणन के आधार पर फीस की एक उच्चतर सीमा तय करने के लिए पारदर्शी तंत्र विकसित करने का भी प्रबंध किया गया है। निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित सभी फीस का बताया जाना और फीस में मनमानी वृद्धि रोकना भी शामिल है।

बहुभाषी शिक्षा नीति

भारत में एक कहावत प्रचलित हैं, कोस कोस पे बदले पानी, तीन कोस पे बदले बानी जिसका अर्थ है की यहाँ पर भाषाओं की अधिकता है। भारत की जनगणना द्वारा चिह्नित भाषाओं की कुल संख्या 1650 से ऊपर है। नवीनतम विश्लेषण के अनुसार, भारत में 19,500 या बोलियाँ मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। शिक्षा नीति में मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा जहां तक संभव हो राज्य में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में शिक्षा दिए जाने की सिफारिश की गई है नई शिक्षा नीति बहुभाषावाद स्थानीय भारतीय भाषा और शिक्षण और सीखने में भाषा की शक्ति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अगर हम भाषा को लेकर विधि के क्षेत्र में बात करें तो जहाँ उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में ज्यादार अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग होता है वही जिला न्यायालयों में स्थानीय भाषा का। ज्यादातर छात्रों की अपनी क्षेत्रीय भाषा पर पकड़ अन्य भाषाओं से ज्यादा है जो शिक्षा के माध्यम के लिए ज्यादा आसान हो सकती हैं।"

मार्च 2022 में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 12 क्षेत्रीय भाषाओं में कानूनी शिक्षा लागू करने का सुझाव दिया। हालाँकि, विशेषज्ञों का मानना है कि कानूनी शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा को लागू करने के लिए, महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक पाठ्य सामग्री और अन्य सामग्री की उपलब्धता है। कानून की शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य संस्थानों को भविष्य के वकीलों और न्यायाधीशों के लिए द्विभाषी शिक्षा प्रदान करने पर विचार करना चाहिए अंग्रेजी में और उस राज्य की भाषा में जिसमें संस्थान स्थित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विधि के क्षेत्र मे उच्च शिक्षा में चुनौतियाँ

अस्सी के दशक की चलचित्रों में यदि हम विधि के व्यवसाय को देखें तो इसे बहुत ही सम्माननीय व्यवसाय दिखाया जाता था साथ ही ये सबकी पहुंच में भी नहीं था समय बदलता गया धीरे धीरे इस व्यवसाय के स्थिति में गिरावट देखने को मिली जो आज की कुछ चलचित्र जैसे जॉली एल एल बी मे हम उसका स्तर देख सकते है। आज विधि व्यवसाय की वैभवपूर्ण गरिमा को बनाये रखने के लिए शिक्षा की प्रकिया मे उचित परिवर्तन आवश्यक है ।

भारत में एक भी लॉ इंस्टिट्यूट विश्व के टॉप 100 संस्थानों में नहीं आता जो बहुत ही चिंताजनक हैं। भारत में विधि के क्षेत्र में शिक्षा में अधिकता (क्वांटिटी) तो हैं पर गुणवत्ता (क्वालिटी) का काफी हद तक अभाव है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा विभिन्न शिक्षा के कई क्षेत्रों में नियामक आयोग को समाप्त कर एक ही आयोग बनाने की अनुशंसा की गयी है परन्तु विधि के क्षेत्र में पूरी तरह से संभव नहीं है इसे अन्य आयोग के साथ बी सी आई भी नियंत्रितकर्ता है अतः इसे अभी इस प्रयोग से बाहर रखा गया है।

यहाँ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के वित्त के लिए राज्य पर निर्भर और स्ववित्तपोषित शिक्षा होने के कारण शिक्षण बहुत ही महंगा होता है जिसके कारण योग्यता होने पर भी निम्नवर्ग के विद्यार्थियों कि पहुंच के बाहर होते है।

विधि का पाठ्यक्रम में प्रवेश बारहवीं के बाद ही होता है अतः उससे पहले विधि क्षेत्र से जुड़े शिक्षकों के पास रोजगार के अवसर कम होते हैं विधि को स्नातक स्तर से नीचे भी पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा के रूप में शुरू किया जाना चाहिए।

विधि के क्षेत्र में सफल व्यावसायिक होने के प्रक्रिया बहुत ही लम्बी है जिसमे कुशल एवं सफल बनने के लिए पूरा जीवन संघर्षशील होना पड़ता हैं और एक लम्बे समय तक इससे जुड़े व्यक्तियों को जीविकोपार्जन कि समस्या का सामना भी करना पड़ता हैं जबकि अन्य डिग्रीधरकों के साथ ये समस्या काफी हद तक कम होती हैं।

यदि समय की आवश्यकता के अनुसार हम अपने आपको और कार्य करने के तरीके को नहीं बदलेंगे तो समय के साथ पिछड़ जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे उदाहरण के लिए विदेश में अधिवक्ता का कार्य इस समय एआई लैस कंप्यूटर सुचारु रूप से कर रहे हैं और शायद ये बहुत से लोगों को नौकरी से वंचित कर दें।

निष्कर्ष

नयी शिक्षा नीति को अभी धरातल पर उतारने में अत्यधिक समय कि आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी इतनी जल्दी लागू होने वाली नहीं है। सरकार ने खुद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझायों को पूरी तरह से लागू करने के लिए 2040 का टारगेट रखा है। हालांकि, इसके कई सुझाव आने वाले दो–तीन सालों में लागू हो सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फाइनल ड्राफ्ट में कहा गया है कि 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। शिक्षा नीति को लागू करने के लिए फंड अहम है. इसलिए असल दिक्कत इसे लागू करने में होगी। पुरानी शिक्षा नीति वित्त के अभाव में सही ढंग से लागू होने में असफल रही। इसमें शिक्षा पर व्यय तो बढ़ा कर 6 प्रतिशत कर दिया गया है परन्तु सरकार को वित्त उपलब्ध करने की समस्या से भी निपटना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश की शिक्षा व्यवस्था को बहुत सी उम्मीदें हैं और आशा है की ये सभी उम्मीदों पर खरी उतरे। जहाँ शिक्षा के स्तर में सुधार होगा वही जो छात्र जीवन में विभिन्न कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते थे ये उनके सपनों को नयी उड़ान देगा। और विधिक व्यवसाय से जुड़े छात्रों के हितो को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा नीतियों का निर्धारण किया जाये।

ये नीति शिक्षा को सीमाओं से कई मायने में आजाद कर रही हैं जिसत्ते कभी भी कोई भी इसमें प्रवेश ले कर जीवन के किसी भी स्तर पर अपनी शिक्षा को आगे ले जा सकता है और देख की प्रगति में अपना योगदान दे सकता है। ये एक सराहनीय कदम हैं कि हम इस नीति के माध्यम से रट्टू तोता वाली शिक्षा से निकल कर जीवन के अनुभवों के साथ व्यावहारिक ज्ञान को लें के आगे बढ़ेंगे।

संदर्भ सूची

1. नास्ति विद्या समं चक्षु नास्ति सत्य समं तप:। नास्ति राग समं दुखं नास्ति त्याग समं सुखं महाभारत शांति पर्व
2. नई शिक्षा नीति – के. कस्तूरीरंगन समिति
3. www.livehindustan.com/career/story-four-year-graduation-ug-course-in-new-education-policy-will-get-graduate-research-degree-in-nep-6823784.html.
4. www.financialexpress.com/jobs-career/education-legal-education-regional-language-nep-varnacular-law-law-study-delhi-university-nlu-2674931.
5. Nandini, ed. (29-07-2020). "New Education Policy 2020 Highlights: School and higher education to see ma changes". Hindustan Times. Last observation date 05.09.2023. 6 last
6. currentaffairs.adda247.com/iilm-university-law-school-is-indias-1st-nep-2020-compliant-law-school
7. www.lawctopus.com/nep-2020-for-legal-education / Last updated on 02.09.2023.
8. https://www.thehindu.com/news/national/indias-institutions-of-eminence-can-now-set-up-campuses foreign-countries/article33535784.ece. Last accessed 28-08-2023.
9. https://www.bhaskar.com/db-original/news/new-education-policy-based-on-four-pillars-130223418.htm
10. https://hindimejankari.in/bharat-me-kitni-bhasha-boli-jati-hai/ Last observation date 01.09.2023.
11. https://www.orfonline.org/hindi/research/new-education-policy-2020/ Last updated on 30.08.2023
12. https://www.financialexpress.com/jobs-career/education-legal-education-regional-language-nep-varna law-law-study-delhi-university-nlu-2674931/ Last Viewed 04.09.2023